महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–२१५५ / 33–3–2013–96 / 2013

प्रेषक,

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2013

विषय –पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अन्तर्गत सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षणों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षमता विकास कार्यो के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

क्षमता विकास कार्यो की, पूर्व में जिलाधिकारियों को आदेशित जॉच के दृष्टिगत, ई0ओ0डब्लू0 से जॉच कराये जाने के निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय। इस संबंध में जिलाधिकारियों से प्राप्त आख्या, प्राप्त होने वाली आख्या की गठित समिति के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय। यदि किसी प्रकरण में जिलाधिकारी की जॉच में इस प्रकार की अनियमिततायें पायी जाये कि कोई अपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया सामने आता है, तो उसे गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 07.08.2006 में दिये गये निर्देशानुसार विभागीय स्तर पर कार्यवाही करते हुए प्रकरण आर्थिक अपराध शाखा से जॉच हेतु संदर्भित किया जाय।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में मूलभूत जानकारी प्रदान करते हुए उनकी भूमिका / जिम्मेदारियों के संबंध में क्षमतावर्द्धन करने हेतु पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम संचालित जनपदों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना से एवं शेष जनपदों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत इम्पैनल्ड सेवा प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया था। शासन स्तर पर यह संज्ञान में लाये जाने के बाद कि सेवा प्रदाता संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण नहीं कराया गया है, सभी जिलाधिकारियों को पृथक–पृथक यह निर्देश दिये गये कि तीन अधिकारियों की समिति गठित कर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सत्यापन अपने जिलें मे एक माह में कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति परियोजना प्रबंध इकाई, बी0आर0जी0एफ0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अभी तक जिलाधिकारियों से प्रशिक्षण सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि क्षमता विकास कार्यो के संबंध में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में अग्रेतर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही किये जाने हेतु क्षमता विकास के प्रशिक्षण से संबंधित उक्त सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 31.08.2013 तक निश्चित रूप से परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंध इकाई एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।